भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 550

06 फरवरी, 2024 को उत्तरार्थ

विषय: खेती में ड्रोन का प्रयोग करने वाले किसानों को राजसहायता

550. श्री अर्जुन लाल मीणाः

श्री भागीरथ चौधरी:

क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या देश के विभिन्न हिस्सों में कीटनाशकों और अन्य कृषि रसायनों के छिड़काव के लिए 'कृषि ड्रोन' का प्रयोग किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का खेतों में रसायनों के छिड़काव के लिए ड्रोन का प्रयोग करने के लिए किसानों को राजसहायता (अनुदान) प्रदान करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार राजस्थान, मध्य प्रदेश और हरियाणा के विभिन्न जिलों में किसानों के लाभ हेतु कीटनाशकों और अन्य कृषि रसायनों के छिड़काव के लिए ड्रोन के प्रयोग को बढ़ावा दे रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का अनुसूचित क्षेत्रों की जनजातियों को ड्रोन खरीदने के लिए कोई विशेष प्राथमिकता अथवा आरक्षण देने का विचार है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री अर्जुन मुंडा)

(क): कृषि में ड्रोन के उपयोग से खतरनाक रसायनों के संपर्क में मानव के जोखिम को कम करने के अलावा, दक्षता में वृद्धि, छिड़काव की लागत में कमी से लागत प्रभावशीलता, उच्च स्तर के परमाणुकरण के कारण उर्वरकों और कीटनाशकों की बचत, अत्यंत कम मात्रा में छिड़काव आदि के कारण पानी की बचत जैसे विशिष्ट लाभ हैं। विभिन्न राज्य मुख्य रूप से कीटनाशकों और तरल उर्वरकों के छिड़काव के लिए कृषि में ड्रोन के उपयोग को बढ़ावा दे रहे हैं।

(ख): कृषि यंत्रीकरण उप-मिशन (एसएमएएम) के अंतर्गत ड्रोन की खरीद की लागत के 100% की दर से अधिकतम 10 लाख रुपये प्रति ड्रोन भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर), फार्म मशीनरी प्रशिक्षण और परीक्षण संस्थानों, कृषि विज्ञान केंद्रों (केवीके), राज्य कृषि विश्वविद्यालयों (एसएयू), राज्य और अन्य केंद्र सरकार के कृषि संस्थानों/विभागों एवं कृषि गतिविधियों में लगे हुए भारत सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) के अधीन संस्थानों द्वारा किसानों के खेतों पर प्रदर्शन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) को किसानों के खेतों पर

इसके प्रदर्शन के लिए किसान ड्रोन की लागत का 75% तक अनुदान दिया जाता है। इन कार्यान्वयन एजेंसियों को 6000 रुपये प्रति हेक्टेयर का आकस्मिक व्यय प्रदान किया जाता है जो ड्रोन खरीदना नहीं चाहते हैं लेकिन कस्टम हायरिंग सेंटर (सीएचसी), हाई-टेक हब, ड्रोन निर्माताओं और स्टार्ट-अप से प्रदर्शन के लिए ड्रोन किराए पर लेंगे। ड्रोन प्रदर्शनों के लिए ड्रोन खरीदने वाली कार्यान्वयन एजेंसियों का आकस्मिक व्यय 3000 रुपये प्रति हेक्टेयर तक सीमित है। किसानों को किराये पर ड्रोन सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए किसानों, एफपीओ और ग्रामीण उद्यमियों की सहकारी समिति के अधीन सीएचसी द्वारा ड्रोनों की खरीद के लिए 40% की दर से अधिकतम 4.00 लाख रुपये तक वित्तीय सहायता दी जाती है। सीएचसी स्थापित करने वाले कृषि स्नातक ड्रोन की लागत का 50% की दर से अधिकतम 5.00 लाख रुपये प्रति ड्रोन तक वित्तीय सहायता प्राप्त करने के पात्र हैं। वैयक्तिक स्वामित्व के आधार पर लघु और सीमांत, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, महिलाओं और पूर्वोत्तर राज्य के किसानों को ड्रोन की खरीद के लिए, लागत की 50% की दर से अधिकतम 5.00 लाख रुपये और अन्य किसानों को 40% की दर से अधिकतम 4.00 लाख रुपये तक वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

सरकार ने हाल ही में 1261 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ महिला स्व-सहायता समूह (एसएचजी) को ड्रोन प्रदान करने के लिए "नमो: ड्रोन दीदी" नामक केंद्रीय क्षेत्रक स्कीम को मंजूरी दी है। इस योजना का लक्ष्य कृषि प्रयोजन (उर्वरकों और कीटनाशकों के अनुप्रयोग) के लिए किसानों को किराये की सेवाएं प्रदान करने के लिए 15000 चयनित महिला एसएचजी को ड्रोन प्रदान करना है। कुल 15,000 ड्रोन में से, पहले 500 ड्रोन 2023-24 में लीड फर्टिलाइजर कंपनियों (एलएफसी) द्वारा चयनित एसएचजी को वितरण के लिए अपने आंतरिक संसाधनों का उपयोग करके खरीदे जाएंगे। इस योजना के तहत शेष 14500 ड्रोन 2024-25 और 2025-26 के दौरान उपलब्ध कराए जाएंगे जिसके लिए महिला एसएचजी को ड्रोन की खरीद और सहायक उपकरण/सहायक सेवा शुल्क के लिए लागत का 80% की दर से, अधिकतम 8.0 लाख रुपये तक की केंद्रीय वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। एसएचजी के क्लस्टर लेवल फेडरेशन (सीएलएफ), शेष राशि (खरीद की कुल लागत में से सब्सिडी घटाकर) राष्ट्रीय कृषि इन्फ्रा वित्तपोषण सुविधा (एआईएफ) के तहत ऋण के रूप में अर्जित कर सकते हैं। सीएलएफ को एआईएफ ऋण पर 3% की दर से ब्याज छूट प्रदान की जाएगी। यह स्कीम, किसानों के लाभ के लिए बेहतर कार्यक्षमता, संवर्धित फसल उपज और कृषि-कार्य पर कम लागत के लिए कृषि में उन्नत प्रौद्योगिकी को शामिल करने में मदद करेगी। यह स्कीम, एसएचजी को सतत व्यवसाय और आजीविका सहायता भी प्रदान करेगी तथा इससे वे अतिरिक्त आय अर्जित कर पाएंगे।

(ग): राज्य सरकारों से प्राप्त जानकारी के अनुसार, राजस्थान राज्य ने 2022-23 के दौरान नैनो यूरिया के छिड़काव के लिए राजस्थान के सभी जिलों में किसानों के 634 हेक्टेयर क्षेत्र में प्रदर्शन आयोजित किया है। वर्ष 2023-24 के दौरान, राज्य में 4509 नैनो यूरिया स्प्रे प्रदर्शन आयोजित किए गए। हरियाणा राज्य कीटनाशकों और विभिन्न कृषि रसायनों के अनुप्रयोग के लिए ड्रोन के उपयोग का सक्रिय रूप से समर्थन कर रहा है। राज्य किसानों को मुफ्त आधार पर ड्रोन पायलट प्रशिक्षण प्रदान कर रहा है और अब तक 500 किसानों के लक्ष्य की तुलना में 82 किसानों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया है। राज्य सरकार ने 2023-24 के रबी सीजन के दौरान किसानों के खेतों में ड्रोन के अनुप्रयोग के माध्यम से नैनो यूरिया के छिड़काव के लिए 1,00,000 एकड़ जमीन को कवर करने का लक्ष्य भी निर्धारित किया है। मध्य

प्रदेश राज्य ने अब तक सब्सिडी पर किसानों को 30 ड्रोन प्रदान किए हैं और पूरे राज्य में विभिन्न स्थानों पर आयोजित यंत्रदूत गांवों में किसान संगोष्ठी और किसान मेलों जैसी विभिन्न पहलों के माध्यम से किसानों के बीच जागरूकता बढ़ाकर ड्रोन के उपयोग को बढ़ावा दे रहा है।

(घ) और (ङ): कृषि में ड्रोन को बढ़ावा देने की स्कीमों के प्रावधानों का उद्देश्य जनजातीय लोगों सहित समाज के कमजोर वर्गों का समग्र सामाजिक-आर्थिक विकास और कल्याण करना भी है। एसएमएएम के तहत, संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र को उनके प्रस्तावों के आधार पर जनजातीय उपयोजना के तहत निधियां प्रदान की जाती हैं। नमो ड्रोन दीदी योजना विशेष रूप से महिला स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) के लिए है जो समान सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि वाले व्यक्तियों के स्व-शासित, सहकर्मी-नियंत्रित सूचना समूह है और इसमें सभी सामाजिक समूहों का प्रतिनिधित्व होता है।

*****